न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 774 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या 131 / 2026

विकाश कुमार, पिता नवल सिंह, उम्र करीब 28 वर्ष,
साकिन बिहटा, थाना सालिमपुर, जिला पटना.....आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री सौरभ कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 रहमान

आदेश

24.08.2026

आवेदक अभियुक्त विकाश कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद सालिमपुर थाना कांड संख्या 131 / 2026, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 132, 115(2), 126(2), 118(1), 117(2), 121(2) भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और इसने कोई अपराध नहीं किया है। संपूर्ण अभियोजन कहानी झूठा, बनावटी एवं मनगढ़ंत है। आवेदक अभियुक्त का विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक अभियुक्त का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कोई सम्बंध नहीं है। ग्रामीण राजनीति और दुश्मनी को लेकर सूचक द्वारा आवेदक के परिवार के सदस्यों को फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः न्यायहित में आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

प्रस्तुत वाद के सूचक पु0अ0नि0 अक्षय कुमार हैं। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 01.05.26 को समय 3:30 बजे सालिमपुर थाना कांड सं0 130 / 26 की वादिनी शिल्पा कुमारी को साथ लेकर थाना से प्रस्थान किए और शिल्पा कुमारी के बताए अनुसार प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त के घर पहुंचा तो वहां उपस्थित अन्य अभियुक्तगण एवं महिलाओं तथा उपस्थित ग्रामीणों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए एकजुट होकर पूर्व नियोजित तरीके से पुलिस दल को घेरकर जान से मारने की नियत से हमला कर दिए। अभियुक्तों द्वारा लाठी, डंडा से पुलिसकर्मियों के सिर एवं शरीर के संवेदनशील अंगों पर प्रहार किया गया, जिससे सूचक एवं अन्य पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आयी। इस वाद में 20 नामित एवं 10–15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उभयपक्षों को सुना। पूरक कांड दैनिकी अप्राप्त है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही जमानत आवेदन पर सुनवाई का आदेश पारित करने का निवेदन

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 774 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या 131 / 2026

लगातार
24.08.2026

किया गया है। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। अभियुक्त पर, पुलिस बल जिनमें पु0अ0नि0 अक्षय कुमार के साथ आर्म्स दस्ती दल जिसके द्वारा सालिमपुर थाना कांड संख्या 130 / 26 के अनुसंधान हेतु उक्त कांड के प्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापामारी करने पर सामुहिक रुप से, संयोजित तरीके से पुलिस बल को घेरकर लाठी–डंडा से मारपीटकर पुलिसकर्मियों को जख्मी कर देने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न, करने का आरोप है। अभिलेख में संलग्न कांड दैनिकी के पारा–2 में वादी ने अपने पुनः बयान में प्राथमिकी का समर्थन किया है तथा अभियुक्तों द्वारा एकजुट होकर साजिश के तहत पुलिस पर हमला करने की बात कही है। साक्षी ने अतिरिक्त बल के सहयोग से घटनास्थल पर आत्मरक्षा करते हुए स्थिति को नियंत्रण किये जाने की बात भी कही है। साक्षी स0अ0नि0 आनन्द कुमार यादव पु0अ0नि0 रितु कुमारी ने भी प्राथमिकी का समर्थन किया है तथा अभियुक्तों द्वारा पुलिस बल पर हमला कर पुलिस बल के सदस्यों को जख्मी किये जाने की बात कही है। साक्षी हवलदार प्रवीण कुमार ने भी अभियुक्तों द्वारा किये गये हमले में उसे चोट लगने की बात कही है। पु0अ0नि0 उदय कांत यादव ने भी घटना में जख्मी होने की बात कही है। आवेदक अभियुक्त पर सरकारी कार्य में बांधा उत्पन्न करते हुए एकजुट होकर पुलिस बल पर हमला कर उन्हें जख्मी कर देने का गंभीर आरोप है। इस वाद का अद्यतन कांड दैनिकी प्राप्त नहीं हुई है। आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अप्राप्त है। अन्य सह अभियुक्तों का अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। सह अभियुक्तों को निम्न न्यायालय द्वारा ही नियमित जमानत का लाभ दिया गया है।

वाद के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्थल पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त विकाश कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदक अभियुक्त यदि चाहे तो आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत आवेदन दाखिल कर सकता है। यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो निम्न न्यायालय बिना इस आदेश से प्रभावित हुए समुचित आदेश पारित करेंगें।

(लेखापित / शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ